


हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम स.प.डावरी के खाता सं. 269 खसरा नं. — में आवेदन पत्र अनुसार रामाफिशन के स्थान पर रामू शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश कम्प ग्रामीण सेवा शिपर कम्प स.प.डावरी में दिनांक 18/09/25 को भजमेआम में सुनाया गया।

A10
2025



18/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी